बिहार विधान परिषद दैनिक विवरणिका

संख्या- 21 सत्र- 185वां

सदन की कार्यवाही का संक्षिप्त अभिलेख
बुधवार, दिनांक 29.3.2017 ई.

माननीय सभापति श्री अवधेश नारायण सिंह की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही आरंभ हुई।

12.00 मध्याह्न से 5.10 अपराह्न तक

1. कार्यस्थगन प्रस्ताव के माध्यम से आसन का ध्यान आकृष्ट किया जाना एवं आसन का नियमन

सदन की बैठक आरंभ होते ही माननीय सदस्य, श्री रजनीश कुमार ने कार्यस्थगन प्रस्ताव की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट करना चाहा, जिसपर आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि इसे अस्वीकृत कर दिया गया है। आज हाउस चलने दीजिए। भाजपा के माननीय सदस्यगण कार्यस्थगन प्रस्ताव के समर्थन में जोर-जोर से बोलने लगे। आसन के अनुरोध के बाद सदन शांतिपूर्ण ढंग से चलने लगा।

2. प्रश्नोत्तर काल

अल्पसूचित प्रश्न

प्रश्न संख्या- 222, 223, 224, 225, 226, 227, 229 उत्तरित हुए।
प्रश्न संख्या- 228 व्यपगत हुआ।
प्रश्न संख्या- 230, 232, 237, 239, 242, 243, 244 सदन पटल पर रखे गए।
प्रश्न संख्या- 231, 233, 234, 235, 236, 238, 240, 241, 245 अनागत हुए।

अल्पसूचित प्रश्न संख्या-223 का उत्तर देने के लिए माननीय मंत्री, श्री अब्दुल जलील मस्तान जैसे ही खड़े हुए, विपक्ष के माननीय सदस्यगण सदन से उठकर बाहर चले गये और उत्तर समाप्त होने के बाद सदन के अंदर आ गए।

तारांकित प्रश्न

प्रश्न संख्या- 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 476, 477, 478 उत्तरित हुए।
प्रश्न संख्या- अ-206, 475 स्थगित हुए।
प्रश्न संख्या- 474 व्यपगत हुआ।
प्रश्न संख्या- 479, 480, 481, 482, 483, 486, 488, 491, 492, 495, 498, 499, 500 सदन पटल पर रखे गए।
प्रश्न संख्या- 484, 485, 487, 489, 490, 493, 494, 496, 497 अनागत हुए।

आसन का नियमन

तारांकित प्रश्न संख्या- अ-206 पर माननीय मंत्री ने सूचित किया कि इसे आपदा प्रबंधन विभाग को स्थानान्तरित कर दिया गया है। माननीय सदस्य, श्री कृष्ण कुमार सिंह ने सरकार से उत्तर दिलवाने हेतु आसन से आग्रह किया। सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि इसका उत्तर कल होगा।

तारांकित प्रश्न संख्या- 471 पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह नियमन देने की कृपा की गई कि इसे प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति को सौंपा जाता है।

3. ध्यानाकर्षण के संबंध में माननीय मंत्री का अनुरोध एवं आसन का नियमन

माननीय मंत्री, श्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने आसन से अनुरोध किया कि क्रमांक-5 पर अंकित ध्यानाकर्षण जो माननीय सदस्य, श्री राजकिशोर सिंह कुशवाहा का है, इसका उत्तर हम कल देंगे। इसपर आसन से कहा गया कि ठीक है।

4. शून्यकाल

शून्यकाल की घोषणा होते ही माननीय सदस्य, श्री रजनीश कुमार ने पुन: अपने कार्यस्थगन प्रस्ताव की ओर आसन का ध्यान आकृष्ट करना चाहा, जिसपर आसन से सूचित किया गया कि यह अस्वीकृत हो गया है, जिसपर भाजपा के माननीय सदस्यगण जोर-जोर से बोलते हुए सदन वेश्म में चले आये। इस दौरान माननीय नेता, प्रतिपक्ष, श्री सुशील कुमार मोदी अपने स्थान पर बैठे रहे।

शून्यकाल

शून्यकाल के दौरान माननीय सदस्य, श्री राधाचरण साह ने सरकार का ध्यान आकृष्ट किया।

आसन का निदेश

माननीय सदस्य, श्री राधाचरण साह की शून्यकाल की सूचना पर सदन की भावना को देखते हुए आसन से यह निदेश देने की कृपा की गई कि आप दे दें, सरकार इसे देखेगी।

5. औपचारिक कार्य

विधान सभा से स्वीकृत विधेयक का सदन की मेज पर रखा जाना

सचिव द्वारा बिहार विधान परिषद् की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली के नियम 157 के अनुसार बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2017, जो विधान सभा द्वारा दिनांक 28.3.2017 की बैठक में पारित हुआ, सदन की मेज पर रखा गया।

6. ध्यानाकर्षणों के संबंध में आसन का नियमन

आसन से माननीय सभापति महोदय ने नियमन देने की कृपा की कि जिन ध्यानाकर्षणों के उत्तर तैयार हों, उन्हें सदन पटल पर रख दिए जाएं।

ध्यानाकर्षण

1. माननीय सदस्य, श्री राजकिशोर सिंह कुशवाहा द्वारा सीतामढ़ी जिले में ब्रह्मपुत्रा इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड द्वारा अधवारा रिवर प्रोजेक्ट के लिए कराये गये कार्यों के बदले राशि के भुगतान में बरती गयी अनियमितता के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाना।

   इस पर सरकार की ओर से दिनांक 30.3.2017 को वक्तव्य होगा।

2. माननीय सदस्य, श्री हीरा प्रसाद बिन्द द्वारा हिलसा शहर के दोनों ओर बाईपास पथ निर्माण के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाना।

   इसपर सरकार की ओर से माननीय उप मुख्यमंत्री, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने वक्तव्य सदन पटल पर रखा।

3. माननीय सदस्य, श्री सी.पी. सिन्हा द्वारा नौबतपुर-मसौढ़ी पथ पर पितमास गांव के पास पुनपुन नदी पर पुल के चौड़ीकरण के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाना।

   इसपर सरकार की ओर से माननीय उप मुख्यमंत्री, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने वक्तव्य सदन पटल पर रखा।

4. माननीय सदस्य, डा. रणवीर नन्दन द्वारा गर्दनीबाग अस्पताल के बगल स्थित कूड़ा डम्पिंग यार्ड को हटाने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाना।

   इसपर सरकार की ओर से वक्तव्य सदन पटल पर रखा गया।

5. माननीय सदस्य, डा. रामवचन राय द्वारा राज्य आवास बोर्ड द्वारा आवंटित भूखंड 3एम/222 दीघा, पटना पर दखल कब्जा दिलाने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाना।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री महेश्वर हजारी द्वारा वक्तव्य सदन पटल पर रखा गया।

6. माननीय सदस्य, श्री रजनीश कुमार द्वारा राज्य में मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना एवं मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना के भुगतान के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाना।

इसपर कोई वक्तव्य सदन पटल पर नहीं रखा गया।

7. माननीय सदस्य, श्री दिलीप कुमार चौधरी द्वारा मधुबनी जिले के 31 विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक/शिक्षकेतर कर्मचारियों के वेतन भुगतान के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाना।

इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री अशोक चौधरी ने वक्तव्य सदन पटल पर रखा।

8. माननीय सदस्य, श्री कृष्ण कुमार सिंह द्वारा बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद द्वारा चिह्नित 123 औद्योगिक इकाइयों पर कार्रवाई करने के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाना।

इसपर सरकार की ओर से वक्तव्य सदन पटल पर रखा गया।

9. माननीय सदस्य, श्री अर्जुन सहनी एवं श्री सुमन कुमार द्वारा दरभंगा जिले के तारालाही एस.एच.-50 से सुक्की महुआ-103 के बीच पथ निर्माण के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाना।

इसपर सरकार की ओर से माननीय उप मुख्यमंत्री, श्री तेजस्वी प्रसाद यादव ने वक्तव्य सदन पटल पर रखा।

सदन वेश्म से यथावत् नारेबाजी जारी रही। अंततः माननीय सभापति महोदय ने सदन को 2.30 अपराह्न तक के लिए स्थगित करने की घोषणा कर दी।

(अंतराल)

7. आसन का ध्यान आकृष्ट किया जाना एवं आसन का नियमन

अंतराल के बाद सदन बैठक आरंभ होते ही माननीय सदस्य, श्री रजनीश कुमार ने क्रमांक 10 पर अंकित ध्यानाकर्षण के संबंध में सरकार से वक्तव्य दिलाने हेतु आसन से अनुरोध किया तथा कहा

कि इसपर उत्तर दिलाने का आपने नियमन दिया था, जिसपर माननीय सभापति महोदय ने यह नियमन देने की कृपा की कि सभी ध्यानाकर्षण हो चुके हैं, मगर इसका उत्तर कल होगा।

8. **ध्यानाकर्षण पर सरकार का वक्तव्य**

1. माननीय सदस्य, श्री कृष्ण कुमार सिंह के इंडिया पावर कॉरपोरेशन, बोधगया लिमिटेड को गया जिले में विद्युत सप्लाई एवं रेवेन्यू कलेक्शन से मुक्त कराने से संबंधित ध्यानाकर्षण पर सरकार का वक्तव्य।

   इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने वक्तव्य दिया।

2. माननीय सदस्य, श्री दिनेश प्रसाद सिंह के मुख्यमंत्री के सात निश्चय योजना के क्रियान्वयन से संबंधित ध्यानाकर्षण पर सरकार का वक्तव्य।

   इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री कपिलदेव कामत ने वक्तव्य दिया।

   आसन का नियमन

   आसन से यह नियमन देने की कृपा गई कि दिनेश जी, माननीय मंत्री जी से व्यक्तिगत रूप से मिलकर चर्चा कर लीजिएगा, वे कर देंगे।

3. माननीय सदस्य, श्री राजकिशोर सिंह कुशवाहा के रोहतास जिले के नासरीगंज थाना कांड सं.-32/17 की उच्चस्तरीय जांच कराने से संबंधित ध्यानाकर्षण पर सरकार का वक्तव्य।

   इसपर सरकार की ओर से माननीय मंत्री, श्री बिजेन्द्र प्रसाद यादव ने वक्तव्य दिया।

9. **वित्तीय कार्य**

माननीय सदस्य, डा. संजीव कुमार सिंह ने प्रस्ताव किया कि वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद तथा सरकार का उत्तर एवं तत्संबंधी बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2017 एक साथ लिए जाएं, जिसपर सदन द्वारा सहमति प्रदान की गयी।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद तथा सरकार का उत्तर एवं बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2017

बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2017

श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी, माननीय मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथापारित बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2017 पर विचार हो।

(विचार का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी, माननीय मंत्री ने प्रस्ताव किया कि सभा द्वारा यथापारित बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2017 पारित हो।

विधेयक की स्वीकृति के प्रस्ताव पर निम्नांकित माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किए -

1. डा. रामवचन राय
2. श्री सुशील कुमार मोदी, माननीय नेता, प्रतिपक्ष

विधेयक की स्वीकृति के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, श्री अब्दुल बारी सिद्दीकी ने वक्तव्य दिया एवं वक्तव्य का शेष अंश सदन पटल पर रखा।

माननीय मुख्यमंत्री द्वारा स्थिति स्पष्ट किया जाना

माननीय मंत्री के वक्तव्य के दौरान माननीय सदस्यों द्वारा स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के संबंध में की गई पृच्छाओं का उत्तर माननीय मुख्यमंत्री, श्री नीतीश कुमार ने दिया।

10. सदन का समय बढ़ाया जाना

माननीय मुख्य सचेतक, सत्तारूढ़ दल, श्री संजय कुमार सिंह के प्रस्ताव पर कि सरकार का उत्तर होने तक सदन का समय बढ़ाया जाय, सदन की सहमति से समय बढ़ाया गया।

वित्तीय वर्ष 2017-18 के आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद तथा सरकार का उत्तर एवं बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2017

बिहार विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2017

(तदुपरांत स्वीकृति का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ)

विधेयक पर बिना किसी सिफारिश के सहमति प्रदान की गई।

सचिव इसकी विधिवत सूचना विधान सभा को दे देंगे।

11. निवेदन

निवेदन के माध्यम से निम्नांकित माननीय सदस्यों ने सदन का ध्यान आकृष्ट किया-

1. डॉ. रामवचन राय
2. श्री संजीव श्याम सिंह
3. श्री केदारनाथ पाण्डेय
4. प्रो. संजय कुमार सिंह
5. श्री सतीश कुमार

6. श्री अर्जुन सहनी
7. श्री सुनील कुमार सिंह
8. श्रीमती मनोरमा देवी
9. प्रो. नवल किशोर यादव
10. श्री सोने लाल मेहता
11. श्री हीरा प्रसाद बिन्द
12. श्री राजेश राम
13. श्री राजकिशोर सिंह कुशवाहा
14. श्री चन्द्रशेखर प्रसाद
15. श्री राधाचरण साह
16. श्री दिलीप राय
17. डॉ. उपेन्द्र प्रसाद
18. श्री शिव प्रसन्न यादव
19. श्री नीरज कुमार

माननीय सभापति महोदय ने सदन की अनुमति से यह निदेश देने की कृपा की कि प्राप्त सभी निवेदन ' निवेदन समिति' के विचारार्थ सुपुर्द किए जाएं।

तत्पश्चात् परिषद् की बैठक बृहस्पतिवार, दिनांक 30.3.2017 को 12.00 मध्याह्न तक के लिए स्थगित हुई।

29/3/2017

(सुधीम शर्मा)
मुख्य प्रतिवेदक
बिहार विधान परिषद्

ज्ञापांक- 457 (3) / वि.प. पटना, दिनांक 29.3.2017

प्रतिलिपि : बिहार विधान परिषद् के माननीय सदस्यगण/ माननीय मुख्यमंत्री सहित अन्य माननीय मंत्रीगण/ महामहिम राज्यपाल के सचिव, बिहार/ माननीय महाधिवक्ता, बिहार/ माननीय लोकायुक्त, बिहार/ बिहार सरकार के सभी विभाग तथा विभागाध्यक्ष/ सभी राज्यों के विधानमंडलों के सचिव/ लोक सभा तथा राज्य सभा सचिवालय, नई दिल्ली/ विधि मंत्रालय, नई दिल्ली/ पुस्तकालयाध्यक्ष, संसद भवन, नई दिल्ली/ बिहार विधान मंडल पुस्तकालय, पटना/ निदेशक, जनसंपर्क एवं सूचना विभाग, बिहार/ अधिष्ठान निदेशक, आकाशवाणी, पटना/ समाचार संपादक, दूरदर्शन केन्द्र, पटना/ सचिव, बिहार विधान सभा को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रमोद कुमार
(प्रमोद कुमार) 29-03-2017
वरीय प्रतिवेदक
बिहार विधान परिषद्